भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1836
सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)

उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवा

1836. **श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज':**
श्री आर.के. सिंह पटेलः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए कोई योजना बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के उत्थान और शिक्षा तथा महिलाओं में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कोई योजना बनाने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) वर्ष 2022 के दौरान आज की तिथि तक रोजगार सृजन का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) वर्ष 2022 के दौरान आज की तिथि तक ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने ग्रामीण रोजगार सृजन में वृद्धि करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों की पहचान की है; और
(च) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में रोजगार सृजित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे देश में नए रोजगार सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), स्ट्रीट वेंडरों को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) और स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि को कार्यान्वित करना।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

भारत सरकार उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं, सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की परिकल्पना है कि सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजीएस) के लिए शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका, लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इससे न केवल वर्तमान में बल्कि भावी पीढ़ियों में भी शिक्षा का स्तर बढेगा। इस प्रकार यह नीति अनुशंसा करती है कि एसईडीजीएस के छात्रों को शामिल करने के लिए बनाई गई नीतियों और योजनाओं को विशेष रूप से इन एसईडीजीएस में लड़कियों के लिए लक्षित किया जाना चाहिए।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में सुरक्षा के अनेकों प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में वेतन सहित प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य माहौल (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्यों सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

मजदूरी संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो, के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में 1,528 रोजगार मेलों का आयोजन कर 1,84,502 नौकरी चाहने वालों को रोजगार प्रदान किया गया। नौकरी चाहने वाली महिलाएं भी उत्तर प्रदेश के रोजगार कार्यालयों द्वारा आयोजित रोजगार मेलों में भाग ले सकती हैं, जहां नियोक्ता विभाग के पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार उम्मीदवारों का चयन करते हैं।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी पर अधिकारिक डेटा एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक उद्योग प्रभाग में सामान्य स्थिति आधार पर कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और कामगारों का प्रतिशत विवरण क्रमशः अनुबंध-। एवं ।। पर हैं।

वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात क्रमशः 48.1%, 48.9%, 53.3% एवं 55.5% थी जो कि देश में रोजगार वृद्धि को दर्शाता है। कृषि क्षेत्र में कामगार प्रतिशत वर्ष 2017-18 में 59.4% से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 60.8% हो गया है।

*****

अनुबंध- I

लोक सभा के दिनांक 13.02.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1836 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएलएफएस (2017-18) से पीएलएफएस (2020-21) के दौरान प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामान्य स्थिति के अनुसार कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में)

आयु समूह: 15 वर्ष और ऊपर

क.सं.	राज्य	ग्रामीण				अखिल भारत			
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	61.0	59.2	59.1	62.7	57.2	54.8	55.5	58.6
2	अरुणाचल प्रदेश	43.3	41.7	45.2	50.3	42.3	40.9	44.3	48.5
3	असम	43.8	43.9	43.3	51.3	43.7	43.4	43.2	50.5
4	बिहार	35.6	36.6	40.1	40.5	35.5	36.4	39.7	39.9
5	छत्तीसगढ	65.5	63.8	69.7	67.4	62.4	61.2	65.4	63.6
6	दिल्ली	43.9	44.4	45.3	43.2	42.7	44.5	43.3	42.7
7	गोवा	46.1	43.7	45.1	45.2	42.9	45.9	47.3	43.4
8	गुजरात	49.1	52.1	59.2	60.7	47.4	49.7	54.7	55.0
9	हरियाणा	41.3	41.0	41.4	44.9	41.7	41.9	42.9	44.0
10	हिमाचल प्रदेश	60.2	65.6	72.4	71.4	58.9	63.9	70.5	69.5
11	झारखंड	43.2	47.6	57.5	64.7	41.7	44.9	53.6	59.6
12	कर्नाटक	51.9	51.1	58.2	59.4	49.1	49.3	53.1	55.3
13	केरल	41.9	45.5	47.7	49.1	41.2	44.9	45.3	46.1
14	मध्य प्रदेश	57.3	55.9	61.8	64.8	54.3	52.3	57.7	60.2
15	महाराष्ट्र	55.0	54.7	61.5	59.1	50.5	50.6	55.7	53.9
16	मणिपुर	43.1	44.7	45.1	41.1	42.5	44.3	45.5	41.0
17	मेघालय	66.3	65.8	62.2	65.9	62.3	61.8	58.6	62.0
18	मिजोरम	50.2	49.2	55.2	59.6	46.4	45.6	50.7	54.5
19	नागालैंड	33.0	39.7	48.1	54.2	32.8	38.1	44.8	49.5
20	ओडिशा	45.6	48.9	53.0	54.7	44.9	47.6	51.9	53.5
21	पंजाब	41.1	42.7	48.2	47.2	42.9	44.2	47.8	47.2
22	राजस्थान	50.3	53.2	59.2	59.7	48.2	50.0	55.0	55.3
23	सिक्किम	60.6	63.0	71.7	75.3	58.7	61.1	68.8	71.3
24	तमिलनाडु	53.7	55.6	59.8	62.1	51.0	51.4	55.3	56.9
25	तेलंगाना	52.9	55.4	61.3	64.6	49.8	50.6	55.7	57.8
26	त्रिपुरा	42.5	42.6	50.6	55.8	42.0	41.9	49.6	53.8
27	उत्तराखंड	41.5	42.1	52.4	51.8	40.6	41.4	49.5	48.7
28	उत्तर प्रदेश	42.5	42.0	46.4	50.0	41.8	40.8	45.1	48.0
29	पश्चिम बंगाल	48.5	50.4	50.5	54.8	47.8	49.7	49.7	53.0
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	48.0	47.0	48.2	59.7	48.7	49.1	49.8	58.2
31	चंडीगढ़	47.0	55.9	59.6	49.4	46.9	47.3	45.5	43.1
32	दमन और दीव	48.5	41.3	47.7	59.6	63.2	68.6	64.5	54.0
33	दादरा और नगर हवेली और	71.0	76.2	84.7		66.3	55.1	72.2	
34	जम्मू और कश्मीर	53.2	56.0	54.7	58.6	51.0	52.9	52.5	55.5
35	लद्दाख	0.0	0.0	63.1	71.7	-	-	62.7	69.1
36	लक्षद्वीप	42.1	27.2	56.2	38.0	34.4	29.5	48.0	40.1
37	पुडुचेरी	33.7	54.5	53.8	53.7	37.8	47.8	47.7	48.1
	अखिल भारत	48.1	48.9	53.3	55.5	46.8	47.3	50.9	52.6

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

अनुबंध- II

लोक सभा के दिनांक 13.02.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1836 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएलएफएस (2018-19) से पीएलएफएस (2020-21) के दौरान व्यापक उद्योग प्रभाग द्वारा सामान्य स्थिति में कामगारों का प्रतिशत वितरण

		पीएलएफएस (2020-21)	
क्र.सं.	एनआईसी 2008 के अनुसार व्यापक उद्योग प्रभाग	ग्रामीण	अखिल भारत
1	कृषि	60.8	46.5
2	खनन और उत्खनन	0.3	0.3
3	उत्पादन	7.6	10.9
4	विद्युत, जल, आदि	0.4	0.6
5	निर्माण	12.4	12.1
6	व्यापार, होटल और रेस्तरां	7.7	12.2
7	परिवहन, भंडारण और संचार	3.7	5.4
8	अन्य सेवाएं	7.2	12.0
	सभी	100.0	100.0

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई